न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–105/2020 वाद पत्र

उनवान

1. प्रकाशचन्द्र पिता सुगनलाल जी गंगवाल जैन उम्र वयस्क निवासी 2 बी 21 वीर कृपा, शास्त्रीनगर विस्तार भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. देवा पिता तुलछा ओड़ उम्र वयस्क निवासी माधोपुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. पुषालाल पिता प्यारचन्द ओड़ उम्र वयस्क निवासी ओड़ो का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पिता प्यारचंद ओड़ उम्र वयस्क निवासी ओड़ो का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. भैरूलाल पिता मूलचन्द ओड़ उम्र वयस्क निवासी ओड़ो का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. अब्दुल लतीफ पिता अब्दुल शकूर रंगरेज मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भवानीनगर भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188–92क एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा एवं घोषणा बाबत्

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री भैरू लाल बाफना :– वादी
2. श्री मांगीलाल सेनः– प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 08/01/2026

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विपुल बाफना द्वारा दिनांक 07.10.2020 को वादपत्र अन्तर्गत धारा 188–92क एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में रजिस्टर क्रम संख्या 105/2020 पर दर्ज किया गया तथा विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक न्याया/विविध/2025/12315 दिनांक 01.09.2025 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विचाराधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत विचाराधीन पत्रावलियां अंतरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा में पेश होने से पत्रावली दिनांक 29.09.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 676/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पूर्व न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकारान की सुनवाई हेतु नियत की गई।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम माधोपुर पटवार क्षेत्र मण्डपिया तहसील–भीलवाड़ा में श्रीमती फूमा पत्नी देवीलाल कुम्हार निवासी माधोपुर के खातेदारी अधिकार की आराजी नं. 171/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा किस्म नहरी द्वितीय भूमि स्थित है।

उक्त आराजी नं. 171/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में से उत्तरी तरफ की 11 बिस्वा भूमि को मेड़ पाली, दरख्तान एवं समस्त हक हकूकों सहित को मुझ वादी ने उक्त खातेदार श्रीमती फूमा पत्नी देवीलाल कुम्हार से एक लाख रूपयों में दिनांक 04.09.2020 को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की है। इस क्रयशुदा 11 बिस्वा भूमि के पड़ौस निम्न प्रकार है :–

पूर्व – अन्य आराजी पश्चिम – सड़क
उत्तर –नहर दक्षिणः– इसी आराजी 171/2 का शेष भाग

चूंकि अभी सेटेलाईट से भूप्रबंध का कार्य चल रहा है जिससे नामान्तरकरण खोलने पर पूरे जिले में रोक लगी है इस कारण से यह क्रयशुदा भूमि मुझ वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में नामान्तरित नहीं हुई है किन्तु इस पर मुझ वादी का अधिकार आधिपत्य वक्त क्रय से ही चला आ रहा है। इस कारण से घोषणात्मक डिक्री द्वारा इस क्रयशुदा 11 बिस्वा भूमि का मुझ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है ।

08/01/2026

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण को अपनी भूमि पर जाने आने के लिये उत्तर दिशा की तरफ से आने वाली सड़क से होकर नहर के पास आराजी नं. 6 व 7 में होते हुए अपनी–अपनी भूमि में जाने आने का रास्ता उपलब्ध है जिससे होकर वे सदैव से अपनी–अपनी भूमि में जा आ रहे हैं।

प्रतिवादीगण को अपनी भूमि में जाने आने का उक्त रास्ता उपलब्ध होते हुए भी वे मुझ वादी की क्रयशुदा आराजी नं. 171/2 में से उत्तरी तरफ की उक्त 11 बिस्वा भूमि में जबरन दखल कर उसमें होकर अनाधिकार रास्ता निकालने पर आमादा हैं और मेरी क्रयशुदा भूमि को नष्ट करने पर उतारू है जबकि इस आराजी में होकर प्रतिवादीगण की भूमि में जाने का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। अगर मुझ वादी की 11 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण ने जबरन दखल कर अनाधिकार रास्ता निकाल दिया तो मेरी सारी 11 बिस्वा भूमि बर्बाद हो जायेगी और किसी काम की नहीं रहेगी जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि वे ग्राम माधोपुर पटवार क्षेत्र मण्डपिया में स्थित आराजी नं. 171/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के उत्तरी तरफ की मुझ वादी के क्रयशुदा 11 बिस्वा रकबे में कोई भी हस्तक्षेप व दखल नहीं करे और न ही इसमें कोई रास्ता कायम करे और न ही इसमें कोई आवागमन करे और मेरी इस भूमि को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचावे और ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे मुझ वादी के स्वामित्व अधिकार एवं आधिपत्य में कोई व्यवधान पैदा हो ।

अगर दौराने कार्यवाही वाद प्रतिवादीगण मुझ वादी की उक्त क्रयशुदा 11 बिस्वा भूमि में जबरन हस्तक्षेप कर रास्ता कायम कर दे तो प्रतिवादीगण के खर्चे से मुझ वादी की उक्त क्रयशुदा 11 बिस्वा भूमि का कृषि स्वरूप वापस कायम कराया जावे और उसका रिक्त आधिपत्य मय हर्जाने के मुझ वादी को वापस प्रदान कराया जावे ।

अतः वादी प्रार्थना करता हैं कि –

1. वाद अनुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादी पारित फरमायी जाकर ग्राम माधोपुर पटवार क्षेत्र मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं. 171/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में से उत्तरी तरफ की 11 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार मुझ वादी को घोषित कराया जाकर यह 11 बिस्वा भूमि मुझ वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज करायी जावे ।
2. वाद अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे ग्राम माधोपुर पटवार क्षेत्र मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं. 171/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में से मुझ वादी की क्रयशुदा उत्तरी तरफ की 11 बिस्वा भूमि में कोई भी हस्तक्षेप व दखल नहीं करे और न ही इसमें कोई रास्ता कायम करे और न ही इसमें कोई आवागमन करे और मेरी इस भूमि को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचावे और ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे मुझ वादी के स्वामित्व अधिकार एवं आधिपत्य में कोई व्यवधान पैदा हो ।
3. अगर दौराने कार्यवाही वाद प्रतिवादीगण मुझ वादी की उक्त क्रयशुदा 11 बिस्वा भूमि में जबरन हस्तक्षेप कर रास्ता कायम कर दे तो प्रतिवादीगण के खर्चे से मुझ वादी की उक्त क्रयशुदा 11 बिस्वा भूमि का कृषि स्वरूप वापस कायम कराया जावे और उसका रिक्त आधिपत्य मय हर्जाने के मुझ वादी को वापस प्रदान कराया जावे ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की बाद तलबी से जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 06.08.2025 को प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई।

वादी की ओर से दिनांक 20.11.2025 को साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पर वादी की मुख्य परीक्षा दिनांक 22.12.2025 को कराई गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यवादी से जिरह करने से इंकार करने पर प्रतिवादी जिरह बंद की जाकर उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज प्रदर्श कराये गये:–

08/01/2026

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

1. ग्राम माधोपुर की आराजी नम्बर 171/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि की जमाबन्दी नकल प्रदर्श–1
2. ग्राम माधोपुर की वादग्रस्त आराजी नम्बर 171/2 व उसके आस–पास की अन्य आराजी नम्बर की नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2
3. विक्रय पत्र दिनांक 04.09.2020 विक्रय पत्र प्रदर्श–3ए
4. आराजी संख्या 568/171 की जमाबन्दी नकल प्रदर्श– 4
5. आराजी नम्बर 568/171 का नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5
6. आराजी संख्या 622/149 की जमाबन्दी की प्रति प्रदर्श–6
7. आराजी संख्या 33 की जमाबन्दी की प्रति प्रदर्श–7
8. आराजी संख्या 149/1 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–8

वादी अधिवक्ता द्वारा अन्य साक्ष्य पेश करने से इंकार करने पर उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में चाहे गये 03 अनुतोषों के आधार पर 3 तनकीयात के आधार पर पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

वादी द्वारा चाहे गये तनकी/अनुतोष साक्ष्य 01 में वादी द्वारा ग्राम माधोपुर पटवार हल्का मण्डपिया तहसील भीलवाड़ा की आराजी संख्या 171/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से खातेदार फूमा पत्नी देवीलाल कुम्हार द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.09.2020 के आधार पर का वादग्रस्त भूमि के उत्तरी हिस्से की 11 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा दौराने साक्ष्य प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादी ग्राम माधोपुर की आराजी संख्या 568/171 रकबा 0.1391 हैक्टयर (11 बिस्वा) का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार दर्ज हो चुका है। अतः वादी को उक्त अनुतोष/तनकी प्राप्त हो जाने से कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

वादी द्वारा चाहे गये तनकी /अनुतोष के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण चाही गई है जिसमें वादी की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदारी (क्रयशुदा) 11 बिस्वा भूमि में हस्तक्षेप व दखल नहीं करने, रास्ता कायम नहीं करने, कृषि भूमि को नुकसान नहीं पहुंचाने तथा वादी के स्वामित्व, अधिकार, आधिपत्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करने का अनुतोष चाहा गया हैं। वादी द्वारा दौराने साक्ष्य प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम माधोपुर की वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 171/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से वादी की क्रय शुदा 11 बिस्वा भूमि का वादी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम आराजी संख्या 568/171 रकबा 0.1391 है0 (11 बिस्वा) भूमि का खातेदार है। प्रकरण में वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 ग्राम माधोपुर की आराजी संख्या 149/4 और प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 ग्राम माधोपुर की आराजी संख्या 149/3, प्रतिवादी संख्या 04 ग्राम माधोपुर की आराजी संख्या 149/2 तथा प्रतिवादी संख्या 05 ग्राम माधोपुर की आराजी संख्या 33 का सहखातेदार/खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। वादी द्वारा दौराने साक्ष्य प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम माधोपुर की आराजी संख्या 149/2 प्रतिवादी संख्या 4 के स्थान पर दर्श रिसोर्ट एल.एल.पी. जरिये पार्टनर ललित कुमार सोमानी वगै0 ग्राम माधोपुर की आराजी संख्या 33 प्रतिवादी संख्या 05 के स्थान पर दिलिप कुमार मेहता व भैरू लाल काबरा एवं 149/1 कृषि प्रयोजनार्थ से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने से नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या 04 व 05 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी के पड़ोसी खातेदार नहीं रहे है और उनके द्वारा अपनी आराजियात दीगर व्यक्तियों को अंतरित की जा चुकी है। प्रकरण में ग्राम माधोपुर तहसील भीलवाड़ा की वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 171/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में से वादी द्वारा क्रयशुदा 11 बिस्वा भूमि वर्ममान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हाल आराजी संख्या 568/171 रकबा 0.1391 हैक्टयर (11 बिस्वा) का वादी खातेदार हो चुका है। वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण को बिना सक्षम अनुमति के किसी प्रकार के रास्ते के निर्माण कर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन किये जाने की अनुमति नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में दीगर व्यक्तियों के हस्तक्षेप को रूकवाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर अनूतोष प्राप्त करने में सक्षम है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01

08/01/2026

लगायत 03 के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का कोई जवाब पेश नहीं किये जाने से एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 5 द्वारा अपनी खातेदारी आराजियात दीगर व्यक्तियों को अंतरित कर दिये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में चाहे गये अनुतोष का बिन्दु संख्या 02 वादी के पक्ष में निर्णित किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है, क्योंकि वादी स्वयं की खातेदारी भूमि में दीगर व्यक्तियों के द्वारा उसकी कृषि आराजियात को नुकसान पहुंचाने की हद तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। अतः वादी द्वारा चाही गई तनकी का बिन्दु संख्या 02 वादी के पक्ष में साबित होता है।

वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष/तनकी संख्या 03 में वादी की खातेदारी 11 बिस्वा भूमि में दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 द्वारा वादग्रस्त भूमि में दौराने वद रास्ता कायम कर दिये जाने अथवा कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ मौके पर रूपान्तरित कर दिये जाने के संबंध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये है। वादी द्वारा अपने वादपत्र के अनुतोष संख्या 03 के समर्थन में किसी प्रकार के साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये जाने से वादी अपने पक्ष में अनुतोष/तनकी संख्या 03 को साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी के पक्ष में अनुतोष/तनकी संख्या 03 की डिक्री जारी किया जाना न्याय संगत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी तनकी संख्या 01 का अनुतोष पूर्व में ही प्राप्त कर चुका है। तनकी संख्या 02 वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है, जबकि तनकी संख्या 3 वादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के उत्तरवर्ती अन्तरिती को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित है। अतएवं

—: आदेश :—

वादी का दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम माधोपुर की आराजी नम्बर 171/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में से वादी की क्रयशुदा उत्तरी भाग की 11 बिस्वा भूमि हाल आराजी नम्बर 568/171 रकबा 0.1391 है0 (11 बिस्वा) भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी की खातेदारी भूमि ग्राम माधोपुर की आराजी संख्या 568/171 रकबा 0.1391 हैक्टयर (11 बिस्वा) भूमि में दखलदांजी नहीं करने, रास्ता कायम नहीं करने, कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के उत्तरवर्ती अन्तरितियों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

08/01/2026

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. प्रकाशचन्द्र पिता सुगनलाल जी गंगवाल जैन उम्र वयस्क निवासी 2 बी 21 वीर कृपा, शास्त्रीनगर विस्तार भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. देवा पिता तुलछा ओड़ उम्र वयस्क निवासी माधोपुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. पुषालाल पिता प्यारचन्द ओड़ उम्र वयस्क निवासी ओड़ो का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पिता प्यारचंद ओड़ उम्र वयस्क निवासी ओड़ो का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. भैरूलाल पिता मूलचन्द ओड़ उम्र वयस्क निवासी ओड़ो का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. अब्दुल लतीफ पिता अब्दुल शकूर रंगरेज मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भवानीनगर भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188–92क एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा एवं घोषणा बाबत्

प्रकरण संख्या 105/2020 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री भैरू लाल बाफना उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 22.12.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादी का दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम माधोपुर की आराजी नम्बर 171/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में से वादी की कयशुदा उत्तरी भाग की 11 बिस्वा भूमि हाल आराजी नम्बर 568/171 रकबा 0.1391 है0 (11 बिस्वा) भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी की खातेदारी भूमि ग्राम माधोपुर की आराजी संख्या 568/171 रकबा 0.1391 हैक्टयर (11 बिस्वा) भूमि में दखलदांजी नहीं करने, रास्ता कायम नहीं करने, कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के उत्तरवर्ती अन्तरितियों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

8/1/26

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा